सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-09 वृहस्पतिवार, दिनांक-10 मार्च, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.42 बजे अपराह्न तक।

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 05 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ ।

(iii) 12 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।

(v) 162 तारांकित प्रश्न अनागत ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-55 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय सदस्य द्वारा दिये गये साक्ष्य और अन्य कागजातों के आलोक में माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण को इस संबंध में जांच कराने का निदेश दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या-1265 के निस्तारण के दौरान माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई तथा आसन द्वारा निदेश दिया गया कि यह एक नीतिगत मामला है तथा सरकार इसका संज्ञान लेकर शीघ्र निर्णय करे।

दिनांक 09.03.2022 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-50 के निस्तारण के दौरान माननीय नेता विरोधी दल द्वारा विभाग द्वारा पेश किये गये आँकड़ों पर दर्ज की गयी आपत्ति के संबंध में माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी। माननीय मंत्री के कतिपय टिप्पणी पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा शोरगुल किया जाने लगा।

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा इस प्रकरण में उनके द्वारा प्रयोग किये गये वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के संबंध में जानकारी दी गयी।

आसन द्वारा कहा गया कि **''तालिम बढ़ रही है, अदब घट रहे हैं, मसला मालूम नहीं अल्फाज रट रहे हैं''**, यह वातावरण नहीं होना चाहिए। मूल समस्या वेबसाईट का है। सदन पटल पर इसे रख दें हम जांच करवा लेंगे।

तत्पश्चात आसन द्वारा माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया कि कोई भी विषय, तीखे से तीखे शब्द को भी हम शालीनता से रख सकते हैं। कटु सच को भी पूरी पारदर्शिता के साथ सदन के अंदर और बाहर मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, किन्तु हंगामा खड़ा कर हम अपनी बात को दबा लेंगे। आसन द्वारा पुनः कहा गया कि **''जो कह दिया वह शब्द है, जो नहीं कह सके वह अनुभूति है और जो कहना है, फिर भी न कह सके वह मर्यादा है''**। हम मर्यादा का पालन करें। मर्यादा से अपनी बात को रखें।

आसन के बार-बार अनुरोध करने के बाद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर माननीय नेता विरोधी दल सहित विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यगण (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यगण को छोड़कर) सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि माननीय मंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष दोनों अपनी-अपनी जानकारी के हिसाब से बोल रहे होंगे। आसन दोनों वेबसाइट पर मौजूद आँकड़ों को मंगाकर देख लें तथा जो उचित हो वह करें। नेता प्रतिपक्ष का इस तरह से सदन से अनुपस्थित हो जाना स्वस्थ जनतंत्र के पक्ष में नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष या मंत्री अगर सदन में नहीं रहेंगे तो बात अधूरी रह जायेगी। हम आसन से अनुरोध करेंगे कि दोनों सदन में रहें। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार के कामों पर नजर कौन रखेगा? प्रजातंत्र की खूबसूरती कहाँ बचेगी? माननीय मंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया गया कि वे सदन में आयें ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।

[2] <u>कार्यस्थगन प्रस्ताव</u> :-

माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम, श्री मनोज मंजिल, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री सुदामा प्रसाद, श्री अरूण सिंह, श्री राम विशुन सिंह, श्री महा नंद सिंह एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

[3] <u>शून्यकाल</u> :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री मिथिलेश कुमार
(ii) श्री ललन कुमार
(iii) श्री इजहारूल हुसैन
(iv) श्री ललित नारायण मंडल
(v) श्री मुरारी प्रसाद गौतम
(vi) श्री सुरेन्द्र मेहता
(vii) श्री मिश्री लाल यादव
(viii) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(ix) श्री सुनील मणि तिवारी
(x) श्री विद्या सागर केशरी
(xi) श्री मो० अनजार नईमी
(xii) श्री राम चन्द्र प्रसाद
(xiii) डॉ० निक्की हेम्ब्रम
(xiv) श्री कृष्णनंदन पासवान
(xv) श्रीमती गायत्री देवी
(xvi) श्री अमन भूषण हजारी
(xvii) श्री विनय कुमार चौधरी
(xviii) श्री मो० इजहार असफी
(xix) श्री जय प्रकाश यादव
(xx) श्री राम सिंह
(xxi) श्रीमती ज्योति देवी
(xxii) श्री पवन कुमार जायसवाल
(xxiii) श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
(xxiv) श्री प्रणव कुमार
(xxv) श्रीमती भागीरथी देवी
(xxvi) श्री संजय सरावगी
(xxvii) श्री कुंदन कुमार
(xxviii) श्रीमती अरूणा देवी

(xxix) श्रीमती नीतु कुमारी
(xxx) श्री पंकज कुमार मिश्र
(xxxi) श्री मुरारी प्रसाद गौतम
(xxxii) श्री कुमार शैलेन्द्र
(xxxiii) श्री पवन कुमार यादव
(xxxiv) श्री विजय शंकर दूबे
(xxxv) श्रीमती रश्मि वर्मा

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा एवं अन्य सभासदों का गृह विभाग से संबंधित तथा दिनांक 04 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा माननीय मंत्री, गृह विभाग के उच्च सदन में रहने के कारण ध्यानाकर्षण की सूचना पर सरकार का उत्तर कल दिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे आसन द्वारा स्वीकार किया गया।

(ii) माननीय सदस्य श्री जनक सिंह एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित तथा दिनांक 04 मार्च, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के लिए माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के उच्च सदन में रहने के कारण ध्यानाकर्षण की सूचना पर सरकार का उत्तर कल दिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे आसन द्वारा स्वीकार किया गया।

(iii) माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव एवं अन्य सभासदों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्यों द्वारा पढ़े जाने के लिए आसन से नाम पुकारा गया, किन्तु माननीय सदस्यों के सदन से अनुपस्थित रहने के कारण उनका ध्यानाकर्षण अपृष्ठ हुआ।

(iv) माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं अन्य सभासदों का गृह विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्यों द्वारा पढ़े जाने के लिए आसन से नाम पुकारा गया, किन्तु माननीय सदस्यों के सदन से अनुपस्थित रहने के कारण उनका ध्यानाकर्षण अपृष्ठ हुआ।

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

1. माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए गठित नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
2. माननीय सभापति, पुस्तकालय समिति, श्री सुदामा प्रसाद द्वारा पुस्तकालय समिति का प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

तत्पश्चात सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.30 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-03 (शिक्षा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान:-

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा कहा गया कि नेता विरोधी दल सदन में उपस्थित नहीं हैं, ऐसी स्थिति में सदन का चलना उचित नहीं होगा।

आसन द्वारा कहा गया कि लोकतंत्र की खूबसूरती सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मौजुदगी से होता है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए और यदि कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसका समाधान भी हम आपस में मिल बैठकर शांति से कर लें। समाधान के लिए हम किसी बाहरी को आमंत्रित नहीं कर सकते। सदन में नये

और पुराने दोनों सदस्य मौजूद हैं। नये सदस्य पुराने सदस्यों से अनुभव तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर समाधान कर सकते हैं। माननीय नेता विरोधी दल एवं माननीय मंत्री दोनों के आँकड़े वेबसाइट के आँकड़े हैं। टोटलिंग के डिफरेंस तथा इन्टरप्रिटेशन के कारण कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। मैं नेता विरोधी दल और माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे इस गतिरोध को समाप्त करें ।

इस दौरान आसन के निदेश पर माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि सरकार हमेशा चाहती है कि प्रतिपक्ष हमेशा सदन में रहे और हमारी कमियों और खमियों को निकाले ताकि सरकार और बेहतर ढंग से काम कर सके। सरकार सदन में उनकी उपस्थिति चाहती है।

गतिरोध समाप्त नहीं होने की स्थिति में आसन ने दोनों पक्षों को समाधान हेतु पुनः आमंत्रित करते हुए सभा की कार्यवाही 03:00 बजे अप० तक के लिए स्थगित की गयी।

स्थगनोपरान्त

(03.00 बजे अपराह्न से 05.02 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आसन द्वारा घोषणा की गयी कि बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में व्यवधान तथा गतिरोध समाप्त हो गया। माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह है कि सदन में संयमित ढंग से अपनी बातों को कहें, क्योंकि शब्दों के हेर-फेर से आपस में मतभेद पैदा हो सकता है।

आसन के अनुरोध पर माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा कहा गया कि मेरी किसी सदस्य के भावना को ठेस पहुँचाने की मंशा नहीं थी।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन में अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि वे निदेशित करें कि सदन में सही उत्तर मिले क्योंकि हम लोगों को सही उत्तर की अपेक्षा पदाधिकारियों से नहीं बल्कि सरकार से रहती है।

आसन द्वारा कहा गया कि आँकड़ों में अंतर स्पष्ट करने के लिए पदाधिकारी को निदेशित कर दिया गया है।

तत्पचात् शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग एवं उस पर आए कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्रीमती प्रतिमा कुमारी

   (इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)
2. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव
3. श्री पवन कुमार जायसवाल
4. मो० इसराईल मंसूरी
5. श्री विनय कुमार चौधरी
6. श्री मुकेश कुमार यादव
7. श्री संदीप सौरभ
8. श्री जीतन राम मांझी
9. श्रीमती स्वर्णा सिंह
10. श्री सुर्यकान्त पासवान
11. श्री अखतरूल ईमान
12. श्री अजय कुमार
13. श्री राम वृक्ष सदा
14. श्री संजय कुमार सिंह

    (इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)
15. श्री मुरारी प्रसाद गौतम
16. श्री मुकेश कुमार रौशन
17. श्री निरंजन राय
18. श्री विद्या सागर केशरी

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री जिवेश कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययके में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से श्रम संसाधन विभाग से संबंधित सरकार की योजना को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

तदुपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 45 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-11 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-10.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।